सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं: NCST/DEV-5655/MH/5/2025-RU-I

दिनांक: 25.05.2026

जिला कलेक्टर एवं मैजिस्ट्रेट,
जिला-बुलढाणा,
कलेक्टर कार्यालय परिसर,
स्टेट बैंक चौक बुलढाणा,
बुलढाना, महाराष्ट्र 443001
ई-मेल: collector.buldhana@maharashtra.gov.in

विषय: वन विभाग पर विगत 35 वर्षो से काबिज अनुसूचित जनजाति परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा बेदखल करने तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे हेतु महाष्ट्र राज्य वीर एकलव्य आदिवासी अधिकारी - कर्मचारी संघटना के संदर्भ में श्री दिलीप श्रीराम मोरे का दिनांक 06/08/2025 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 16.03.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

2. आपसे अनुरोध है की सिटिंग में लिए गए निर्णयों एवं आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई रिपोर्ट इस आयोग को **पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के भीतर** भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

(आर. के. दुबे/R.K. Dubey)
निदेशक/Director
दूरभाष: 011- 20819839

प्रतिलिपि प्रेषित:

श्री दिलीप श्रीराम मोरे,
राज्य उपाध्यक्ष,
रेणुका नगर, चांडक लेआउट, बुलढाणा,
तह.जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र
ई-मेल: dilipsmore77@gmail.com

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या / File No.: NCST/DEV-5655/MH/5/2025-RU-I

अनुसंधान इकाई: अनुसंधान इकाई–I

श्री दिलीप श्रीराम मोरे द्वारा वन भूमि पर पारंपरिक कब्जे, वन अधिकार दावों के सत्यापन तथा कथित बेदखली कार्रवाई के संबंध में दिनांक 16.03.2026 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

1. सिटिंग/सुनवाई की तिथि एवं अध्यक्षता:

दिनांक: 16.03.2026

अध्यक्षता: माननीय अध्यक्ष महोदय

2. सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी: (अनुलग्नक–I के अनुसार)

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण:

आयोग को प्राप्त अभ्यावेदन के अनुसार याचिकाकर्ता श्री दिलीप श्रीराम मोरे, मालेगांव तालुका, मोटाला जिला बुलढाणा (महाराष्ट्र) के निवासी एवं भील जनजाति समुदाय से संबंधित हैं। याचिकाकर्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वे एवं अन्य आदिवासी परिवार कई वर्षों से वन भूमि पर कृषि कार्य करते आ रहे हैं तथा उक्त भूमि पर उनका पारंपरिक कब्जा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि संबंधित वन विभाग के अधिकारी समय-समय पर उनके घरों को तोड़कर उन्हें भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी उल्लेख किया कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, नियम 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के अंतर्गत आदिवासी समुदायों को प्रदत्त अधिकारों का समुचित पालन नहीं किया जा रहा है।

अभ्यावेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि आदिवासी विकास विभाग एवं राजस्व एवं वन विभाग द्वारा जारी विभिन्न शासन निर्णयों एवं परिपत्रों के बावजूद वन अधिकार दावों के सत्यापन एवं लंबित व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के संबंध में विधिसम्मत कार्यवाही नहीं की जा रही है। याचिकाकर्ता ने आयोग से वन भूमि पर उनके पारंपरिक अधिकारों की रक्षा एवं बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाए जाने का अनुरोध किया है।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. प्राप्त प्रतिवेदन की स्थिति:

प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र को नोटिस जारी किया गया था, किंतु आज दिनांक तक संबंधित प्रशासन द्वारा कोई तथ्यात्मक प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. पिछली सुनवाई के अभिलेख:

प्रकरण में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 23.02.2026 को सुनवाई निर्धारित की गई थी, जिसमें संबंधित प्राधिकारी अनुपस्थित रहे एवं याचिकाकर्ता उपस्थित हुए।

6. दिनांक 16.03.2026 की सुनवाई में टिप्पणियाँ एवं अवलोकन:

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 16.03.2026 को सुनवाई की अध्यक्षता की गई। सुनवाई के दौरान कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट, जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र के प्रतिनिधि श्रीमती सरिता पाटिल तहसीलदार उपस्थित रहे और याचिकाकर्ता अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दौरान आयोग को प्रकरण में संबंधित प्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने हेतु वर्ष 2024 में पुनः सभी दावेदारों को 14.05.2024 एवं 15.05.2024 को अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया, किंतु तब भी कोई आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके उपरांत जिला स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 04.09.2024 को दावों को पुनः अस्वीकृत किया गया।

7. दिनांक 16.03.2026 की सुनवाई उपरांत आयोग की अनुशंसाएँ:

1. आयोग यह अनुशंसा करता है कि प्रकरण की समस्त परिस्थितियों एवं याचिकाकर्ताओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए मामले का पुनर्मूल्यांकन (Reassessment) किया जाए तथा संपूर्ण प्रकरण में विस्तृत एवं निष्पक्ष पुनः जांच कराई जाए।
2. आयोग यह अनुशंसा करता है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, उप-विभागीय एवं जिला स्तरीय समितियों के माध्यम से प्रकरण का पुनः सत्यापन एवं जांच कराई जाए, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी पात्र अनुसूचित जनजाति परिवार का दावा केवल तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक आधार पर अस्वीकृत न हुआ हो। पुनः जांच के दौरान पारंपरिक कब्जे, कृषि उपयोग, ग्राम के वरिष्ठ व्यक्तियों के कथन, वंशावली अभिलेख एवं अन्य वैकल्पिक साक्ष्यों पर भी विधिसम्मत विचार किया जाए।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

3. उपर्युक्त बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की विस्तृत Action Taken Report (ATR) समस्त संबंधित अभिलेखों सहित 30 दिवस के भीतर आयोग को प्रस्तुत की जाए।

(अंतर सिंह आर्य)

अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
अनुसंधान एकक-I
****

फाइल. सं. NCST/DEV-5655/MH/5/2025-RU-I

दिनांक: 16.03.2026

विषय: वन विभाग पर विगत 35 वर्षो से काबिज अनुसूचित जनजाति परिवारों को जिला प्रशासन द्वारा वेदखल करने तथा वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टे हेतु महाष्ट्र राज्य वीर एकलव्य आदिवासी अधिकारी - कर्मचारी संघटना के संदर्भ में श्री दिलीप श्रीराम मोरे का दिनांक 06/08/2025 का अभ्यावेदन के संदर्भ में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 16.03.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेन्दु कान्त	निदेशक		
3.	श्री आर. के. दूबे	उप-निदेशक		
4.	श्री चेतन कुमार शर्मा	अनुसंधान अधिकारी		
5.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
6.	श्री विवेकानन्द शुक्ला	अन्वेषक		

राज्य उपाध्यक्ष, रेणुका नगर, चांडक लेआउट, बुलढाणा, तह.जिला-बुलढाणा, महाराष्ट्र

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	नतिना पाटील खटके	तहसिलदार	9850091960	[signature] 16/03
2.	पंकज वि. मकसपुरे	अपरिलेखा अधिकारी	9309858115	[signature] 16/3/2026
3.				
4.				

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				
4.				